



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1942 (श10)

(सं० पटना 785) पटना, शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2020

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

6 अक्टूबर 2020

सं० 2/सी-01-20-03/2018 (खण्ड-II) 6950/गृ०आ०—पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि में कार्यरत निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक की कोटि (वेतनमान-लेवल-9) में विभागीय अधिसूचना सं०-931 दिनांक 29.01.2019 द्वारा दिनांक 29.06.2017 के भूतलक्षी प्रभाव से, कनीय को दी गई प्रोन्नति की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए नियुक्त किया गया है।

प्रोन्नति से नियुक्ति के पश्चात् वित्त विभाग से प्राप्त परामर्शानुसार उक्त अधिसूचना की कंडिका-3 के आलोक में प्रोन्नति का आर्थिक लाभ इनसे कनीय पदाधिकारियों को (विभागीय अधिसूचना सं०-5286 दिनांक 29.06.2017 द्वारा प्रदत्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदभार ग्रहण की तिथि से प्रदत्त आर्थिक लाभ के आलोक में) स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से (भूतलक्षी प्रभाव से) आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है :-

क्रम सं.	पदाधिकारियों का नाम	वरीयता क्रमांक	प्रोन्नति आदेयता की तिथि	स्तम्भ-2 के पदाधिकारियों से कनीय पदाधिकारियों को आर्थिक लाभ देयता की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री प्रवास चन्द्र मिश्रा	381	29.06.2017	31.07.2017
2	श्री सुशील कुमार	425	29.06.2017	05.08.2017
3	श्री मो० यूनूस	522	29.06.2017	07.08.2017
4	श्री संतोष कुमार सिंह	548	29.06.2017	07.08.2017

2. आर्थिक लाभ देयता की तिथि के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 785-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>